<u>अति महत्वपूर्ण/ मानव सम्पदा पोर्टल</u>

<u>संख्या- 25/2025/615/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)</u>

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 30 जून, 2025

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह क ख ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 05/2025/05/सैतालीस-का-5-2025 दिनांक 17.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 में वार्षिक मूल्यांकन / प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य दर्ज किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वर्कफ्लो जेनरेशन हेतु दिनांक 30.04.2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु कतिपय कार्मिकों का वर्कफ्लो समयांतर्गत जनरेट न हो पाने के कारण समय-समय पर उक्त समयावधि विस्तारित की गयी है। पूर्व में शासनादेश संख्या- 21/2025/398/सैतालीस-का-5-2025-(1788429), दिनांक 16 जून, 2025, शासनादेश संख्या- 23/2025/543/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 20 जून, 2025 एवं शासनादेश संख्या- 24/2025/594/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 24 जून, 2025 द्वारा वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि क्रमशः 21.06.2025, दिनांक 24.06.2025 एवं दिनांक 27.06.2025 तक बढायी गयी।

2- शासन के स्पष्ट आदेशों एवं पोर्टल की नियमित समीक्षा के उपरान्त भी कतिपय विभागों में वर्कफ्लो जेनरेशन की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। पोर्टल की समीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल पर दर्ज कार्मिकों में अभी भी 2,363 कार्मिकों का वर्क फ्लो जेनरेट नहीं हुआ है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उक्त के दृष्टिगत मानव सम्पदा पोर्टल पर जिन कार्मिको का दिनांक 27.06.2025 तक वर्कफ्लो जेनरेशन नहीं हो सका है, मात्र उन्हीं कार्मिकों हेतु वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि 01.07.2025 एवं उनके द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03.07.2025 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने विभाग / विभागान्तर्गत कार्यालयों में अवशेष वर्कफ्लो जेनरेशन की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश के साथ।
9. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश के साथ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई ऑफिस डैश बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुलदीप कुमार रस्तोगी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in